निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 426) पटना, सोमवार 4 मई 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 मई 2026

सं० बी०1-3-65/2026-18—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा–67 के उपबंध के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् का उप निर्वाचन, 2026 के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से संबंधित प्ररूप 21ख एवं 21B जिसमें बिहार राज्य के विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्य के नाम संबद्ध दल के सहित (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव–सह–
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

श्री मंगल पांडे के स्थान पर बिहार विधान परिषद् का उप–निर्वाचन, 2026

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ख

[नियम 11 (1) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार की विधान परिषद के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि–

श्री सूर्य कुमार शर्मा, त्रिपोलिया के पास, पथरी घाट, चाई टोला, पटना सिटी, पटना–800007, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए हैं,

उस सदन में श्री मंगल पांडे के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

छोटे पासवान,
रिटर्निंग आफिसर,
बिहार विधान परिषद् का उप निर्वाचन।

स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना
तारीख : 04 मई, 2026

Bye-Election to the Bihar Legislative Council, 2026 in place of Shri Mangal Pandey

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21B

[See rule 11(1)]

(For use in Election to fill a casual Vacancy when seat is uncontested)

Declaration of the result of Election under Sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Bihar by the members of the Legislative Assembly

In pursuance of the provisions contained in Sub-section (2) of section-53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri Surya Kumar Sharma , Near Tripolia, Pathri Ghat, Chai Tola Patna City, Patna-800007 Sponsored by Bharatiya Janata Party

has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the seat of Sri Mangal Pandey having become vacant.

Chhote Paswan,
Returning Officer for the Bye Election,
To the Bihar Legislative Council.

Place : Bihar Vidhan Sabha Secretariat, Patna
Date : 04th May, 2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 426-571+50-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in